भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1407
उत्तर देने की तारीख : 13.02.2025

पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पंजीकरण

1407. **श्री नवीन जिंदल:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत अब तक कुल कितने विश्वकर्मा पंजीकृत हुए हैं;

(ख) उन विधाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें कारीगरों को अपने कौशल को तराशने में सहायता करने हेतु कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है; और

(ग) सरकार द्वारा अभीष्ट लाभार्थियों को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्राप्त करने में आसानी सुनिश्चित करने और ब्याज सहायता प्रदान कर ऋण लागत को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : अपने हाथों और औज़ारों से काम करने वाले 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना दिनांक 17.09.2023 को शुरू की गई थी। दिनांक 10.02.2025 तक, 27.25 लाख लाभार्थियों को योजना के तहत पंजीकृत किया गया है।

(ख) : इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है, जिसमें कारीगरों को उनके कौशल को निखारने में मदद करने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन व्यवसायों में शामिल हैं: (i) बढ़ई (सुथार/ बढ़ई); (ii) नाव निर्माता; (iii) कवचधारी; (iv) मेटलस्मिथ/मेटल कॉस्टर; (v) हथौड़ा और टूल किट निर्माता; (vi) ताला बनाने वाला; (vii) गोल्डस्मिथ (सोनार); (viii) कुम्हार; (ix) मूर्तिकार (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला; (x) मोची (चर्मकार)/जूता बनाने वाला/जूता कारीगर; (xi) मेसन (राजमिस्त्री); (xii) टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कॅयर बुनकर; (xiii) गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक); (xiv) नाई; (xv) माला बनाने वाला (मालाकार); (xvi) धोबी (xvii) दर्जी और (xviii) मछली पकड़ने का जाल निर्माता।

(ग) : वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा कार्यान्वित क्रेडिट घटक, उद्यम विकास के लिए किफायती और आसान पहुंच वाले संपार्श्विक-मुक्त रियायती ऋण प्रदान करने पर केंद्रित है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को दो किश्तों में ऋण प्रदान किया जाता है:

- किश्त 1: 18 महीने की पुनर्भुगतान अवधि के साथ 1 लाख रुपये तक का ऋण।
- किश्त 2: 30 महीने की पुनर्भुगतान अवधि के साथ 2 लाख रुपये तक का ऋण।

लाभार्थियों से ली जाने वाली ब्याज दर केवल 5% है और सरकार द्वारा बैंकों को 8% तक की ब्याज छूट अग्रिम रूप से प्रदान की जाती है। पोर्टफोलियो के आधार पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत ऋण कवरेज सुरक्षित है। बुनियादी कौशल प्रशिक्षण अवधि के दौरान, लाभार्थियों को आधे दिन के वित्तीय साक्षरता सत्र प्रदान किए जाते हैं, जो विशेष रूप से उन्हें योजना के तहत ऋण सुविधाओं से परिचित कराने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से व्यापक रूप से सुलभ है, जिससे इस योजना की पहुंच देश भर के शहरी, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक सुनिश्चित होती है।

*****